न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 186 / 2019

प्रार्थीगण :-

1. महेन्द्रसिह पुत्र श्री करणसिह
2. मदनसिह पुत्र श्री करणसिह
3. लक्ष्मी कवर पुत्री श्री करणसिह
4. कौशलया पत्नी श्री करणसिह सभी जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भेड हाल निवासी गाम तिवरी तहसील तिवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम उपस्थिति :-

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार उपस्थि

-:: निर्णय ::-

दिनॉक 05.03.2019

प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के पूर्वज श्री आदूराम उर्फ आईदानसिह पुत्र श्री रामूराम उर्फ रामसिह की खातेदारी भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम रामदेव नगर भेड के खेत खसरा सख्या 608 रकबा 23 बीघा 07 बिश्वा भूमि आयी हुई है। उक्त खसरा की भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा की भूमि के खातदेार स्व श्री आदूराम उर्फ आईदानसिह का देहान्त दिनॉक 16.11.2003 को हो चुका है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की तथा प्रार्थना पत्र के पद सख्या 02 में वंशावली वंशवृक्ष बनाया तथा बताया कि उक्त वंशावली वंशवृक्ष के अनुसार प्रार्थीगण व स्व श्री भोमसिह जी के पूर्वज स्व श्री आदूराम उर्फ आईदानसिह जी थे। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम जी के पहचान सम्बधी सभी दस्तावेज में आईदानसिह पुत्र श्री रामसिह के नाम से है जबकि उक्त खसरा की भूमि में आदूराम पुत्र श्री रामूराम नाम दर्ज है। उक्त नाम वक्त सेन्टलमेन्ट से दर्ज चला आ रहा हैं जबकि उक्त आदूराम व आईदानसिह एक ही व्यक्ति है। जो प्रार्थीगण के पूर्वज है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के पद सख्या 01 में वर्णित खसरा की भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम के स्थान पर आईदानसिह तथा पिता का नाम रामूराम के स्थान पर रामसिह किया जाना न्यायोचित है ताकि उक्त त्रुटि यदि पहचान सम्बधी दस्तावेज के अनुसार तथा मृत्यु प्रमाण के अनुसार शुद्व की जाती है तो स्व श्री आईदानसिह के प्रथम श्रेणी के वारिसान जरिये फोतदगी नामान्तकरण के अपने नाम से करवाने में कोई कठिनाई महसूस नही हो। प्रार्थीगण के

कलेक्टर, ओसियाँ

Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त त्रुटि को शुद्ध करने बाबत अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन अप्रार्थी के क्षेत्राधिकार में नही होने की बात कहकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र लेने से ईन्कार कर दिया प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम पुत्र श्री रामूराम के नाम के स्थान पर आईदानसिह पुत्र श्री रामसिह दर्ज किया जाता है। उक्त आदूराम के वारिसान अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा सकेगे तथा अपनी कब्जा काश्त सुदा भूमि में भी नाम दर्ज करवा सकेगें। उक्त आदूराम व आईदानसिह एक ही होने बाबत ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम भेड के खेत खसरा सख्या 608 रकबा 23 बीघा 07 बिश्वा भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम पुत्र श्री रामूराम नाम के स्थान पर आईदानसिह पुत्र श्री रामसिह नाम मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार किया किया जावे प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र भी पेश किया गया ।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गयी जिस पर सरकार की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की ताहिद की व स्वीकार करने की ईस्दुआ चाही ।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम उर्फ आईदानसिह एक ही व्यक्ति है जिस बाबत ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी सलग्न पत्रावली है तथा अप्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं जिस बाबत कोई खण्डन पत्रावली पर नही हैं इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम रामदेव नगर भेड के खेत खसरा सख्या 608 रकबा 23 बीघा 07 बिश्वा भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज स्व श्री आदूराम पुत्र श्री रामूराम नाम के स्थान पर आईदानसिह पुत्र श्री रामसिह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं । निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार ओसियॉ को तहरीर जारी हो।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 06.03.2019 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned by CamScanner